

“विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (यिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/सी.ओ./रायपुर/17/2002.”

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2002—आपाद 21, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रभुखों के आदेश, (3) लच्छ न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य जायन के मंकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन उपयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिद्द.

भाग 2.—राज्यान्वय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधीनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) ओंतम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 जून 2002

क्रमांक 1720/1333/2002/एक/2.—श्री एस. एन. ध्रुव, भा. प्र. से. (1992), कलेक्टर, जिला रायगढ़ को आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संरक्षण एवं ऊर्जा विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

2. श्री सुनोध कुमार सिंह, भा. प्र. से. (1997), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बस्तर को आगामी आदेश तक कलेक्टर रायगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 1741/1333/2002/एक/2.—श्री अमित अयताल, भा. प्र. से. (1993), कलेक्टर, महासमुन्द को आगामी आदेश तक अम्भारी रूप से संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सूचना प्रांद्योगिकी एवं वायोट्रन्सिलिजी विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है। श्री अमित अग्रवाल को मुख्य कार्यपालन अधिकारी CHIPS का असंगठित योग्य भी सौंपा जाता है।

2. श्रीमती मनिन्द्र कौर द्विवेदी, भा. प्र. से. (1995), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुन्द को आगामी आदेश तक कलेक्टर महासमुन्द के पद पर पदस्थ किया जाता है।

रायपुर, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 1745/1432/2002/1/2.—श्री सुन्दरत साहू, भा. प्र. सं. (1992), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपृति निगम एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपृति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण कुमार, मुख्य सचिव,

रायपुर, दिनांक 26 जून 2002

क्रमांक 1743/1409/2002/1/2.—राज्य शासन श्रीमती निहारिका बारिक, भा. प्र. सं., उप आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को आगामी आदेश तक पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग (ग्रामोद्योग विभाग के लिए नांडल अधिकारी) ओपिट करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2002

क्रमांक आर-252/व्हीआईपी/2002/1594.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए निम्नलिखित “श्रम यशस्वी” पुरस्कार की घोषणा करते हुए नियम बनाता है :—

1. संक्षिप्त नाम एवं उद्देश्य :—

- 1.1 यह नियम “छत्तीसगढ़ स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार नियम” के नाम से जाना जायेगा।
- 1.2 यह पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जावेगा।
- 1.3 यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगा।

1.4 यह पुरस्कार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम क्षेत्र में किये गए उल्लेखनीय/उत्कृष्ट कृत्य के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार की श्रेणी में आयेगा।

1.5 शासन से तात्पर्य “छत्तीसगढ़ शासन, श्रम मंत्रालय” से है।

2. पात्रता :—

राज्य में स्थित श्रमिक/संस्था यह पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं।

3. पुरस्कार :—

इस नियम के तहत चयनित व्यक्ति/संस्था को स्पष्ट 2 लाख रुपये पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जावेगा।

4. अर्हताएं :—

उपरोक्त पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा श्रम के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष में किये गए उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चयनित किया जायेगा, जैसा कि श्रमिक क्षेत्र में आदर्श उदाहरण अर्थात् कर्तव्यनिष्ठा, समय की पावंदी, उत्पादन की लागत में कमी, ऊर्जा की बचत, सौंहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने में योगदान, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में उल्लेखनीय योगदान आदि क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया हो। औद्योगिक संस्था जिनके द्वारा मजदूरों की हितों की गक्का की दिशा में बनाए गए अधिनियमों का प्रभावी पालन किया हो भवित्वा मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में विशेष कारगर उपाय किया हो जिसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना न हड्ड हो एवं मजदूरों को सुरक्षा के सभी उपकरण प्रदाय करने के साथ-साथ सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया हो, जिसमें प्रदेश का नाम श्रम जगत में गौरवान्वित हुआ हो।

5. चयन समिति :—

प्रत्येक 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में किये गए उपरोक्त कार्यों की विवेचना के आधार पर दिये जाने वाले इस पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था का चयन माननीय श्रम मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जावेगी जिसमें निम्न व्यक्ति सदस्य होंगे :—

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. माननीय श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन | - अध्यक्ष |
| 2. श्रम सचिव, छत्तीसगढ़ शासन | - सदस्य मन्त्रिव |
| 3. वित्त विभाग का प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 4. नियोक्ता संगठन का प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 5. श्रमिक संगठन का प्रतिनिधि | - सदस्य |

6. आवेदन की प्रक्रिया :—

1. श्रम विभाग द्वारा 30 जून तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जावेंगे।
2. आवेदन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे।
3. यदि कोई आवेदन-पत्र 30 जून के पश्चात् प्राप्त होता है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा और न ही उसे अगले वर्ष के लिए अग्रेष्टित किया जावेगा।
7. आवेदन-पत्रों पर विचार की प्रक्रिया :—
 1. निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन-पत्रों को सूचीबद्ध क्रम में रखा जावेगा।
 2. विभाग पुरस्कार के लिए उपरोक्त नियम क्रमांक 5 के अनुसार उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन करेगा।
 3. आवेदन-पत्रों में से श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर श्रमिक/संस्था का चयन "पुरस्कार चयन समिति" द्वारा किया जावेगा।
 4. चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
8. पुरस्कार का विलोपन या रद्द करना :—
यह पुरस्कार उस स्थिति में रद्द किया जा सकता है जिसमें यह

पाया जावे कि यह धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है। किन्तु विलोपन या रद्द करने का अधिकार चयन समिति के पास ही सुरक्षित रहेगा। विलोपन या रद्द करने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

9. अनर्हता :—

पुरस्कार/प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार के दबाव या प्रत्योभन अनर्हता मानी जावेगी।

10. पुरस्कार वितरण प्रक्रिया :—

1. यह पुरस्कार वर्ष में एक बार विश्वकर्मा जयंती के दिन अथवा शासन द्वारा निर्धारित ऋन्य किरण तिथि को प्रदान किया जावेगा।
2. इस पुरस्कार का वितरण, सार्वजनिक घमांगह के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जावेगा।

11. संशोधन :—

शासन इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन/शिथलीकरण करने हेतु सक्षम रहेंगे।

उपरोक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एस. मूर्ति, वर्चिव.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक 1134/2317/2010/12.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 1121/2317/2010/12 दिनांक 25-05-2010 द्वारा श्री एस. के. त्रिवेदी, संचालक, (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग. रायपुर के अर्जित अवकाश अवधि में श्री व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव, छ. ग. शासन, खनिज साधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग. रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री जे. के. पशोने, संयुक्त संचालक, (भौमिकी) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग. रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से श्री त्रिवेदी के अवकाश अवधि में संचालक, (प्रभारी) भौमिकी तथा खनिकर्म, छ. ग. रायपुर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कनकने, अवर सचिव.

जल संसाधन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2010

क्रमांक एफ. 1-31/31/स्था./2010.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, श्री के. के. मान्धाता, मुख्य अधियंता (सिविल) को पदोन्नत करते हुये, प्रमुख अधियंता के पद पर, पुनरीक्षित वेतन बैंड, रुपये 37400-67000/-+ ग्रेड वेतन रुपये, 10,000/- में, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, प्रमुख अधियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर में पदस्थ करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. डी. दीवान, उप-सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक एफ 1-23/2010/16.—राज्य शासन एतद्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 272 (2) (क) में “(चार) भारत के निवाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता परिचय पत्र भी मान्य होगा” अन्तर्निहित करता है:

रायपुर, दिनांक 28 मई 2010

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-2/2006/16.—राज्य शासन एतद्वारा श्रम विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 252/व्हीआईपी/2002/1594, दिनांक 03-07-2002, “छत्तीसगढ़ स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार नियम” में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-

- 1.1 यह नियम “छत्तीसगढ़ स्व. रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार नियम 2010” के नाम से जाना जायेगा।
- 1.2 यह पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्था को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जायेगा।

- 1.3 यह नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगा।
- 1.4 यह पुरस्कार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम क्षेत्र में किये गये उल्लेखनीय/उत्कृष्ट कृत्य के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार की श्रेणी में आयेगा।
- 1.5 शासन से तात्पर्य ‘छत्तीसगढ़ शासन, श्रम मंत्रालय’ से है।
2. पात्रता :— राज्य में स्थित श्रमिक/संस्था यह पुरस्कार प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं।
3. पुरस्कार :— इस नियम के तहत चयनित व्यक्ति/संस्था को रूपये 2 लाख नगद पुरस्कार एवं प्रशस्तिपत्र से सम्मानित किया जायेगा।
4. अर्हताएँ :—
1. उपरोक्त पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा श्रम के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष में किये गये उल्लेखनीय योगदान के आधार पर चयनित किया जायेगा, मजदूरों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की दिशा में विशेष कारगर उपाय किया हो जिसके फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में कोई गंभीर दुर्घटना न हुई हो एवं सुरक्षा के नियमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया हो, जिससे प्रदेश का नाम श्रम जगत में गौरवान्वित हुआ हो।
 2. (1) यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का प्रकरण नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (2) यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व-विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 5. चयन समिति :— प्रत्येक 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि में किये गये उपरोक्त कार्यों की विवेचना के आधार पर किये जाने वाले इस पुरस्कार हेतु व्यक्ति/संस्था का चयन माननीय श्रम मंत्री जी, छ. ग. शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें निम्न व्यक्ति सदस्य होंगे :—

1. माननीय श्रम मंत्री, छ. ग. शासन	—	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, छ. ग. शासन	—	सदस्य सचिव
3. श्रम आयुक्त, छत्तीसगढ़ गवर्नर	—	सदस्य
4. वित्त विभाग का प्रतिनिधि	—	सदस्य
5. नियोक्ता संगठन का प्रतिनिधि	—	सदस्य
6. श्रमिक संगठन का प्रतिनिधि	—	सदस्य

 6. आवेदन की प्रक्रिया :—
 1. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित की गयी तिथि तक विहित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
 2. आवेदन हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन/विज्ञप्ति प्रकाशित किये जायेंगे।
 3. यदि कोई आवेदन पत्र विभाग द्वारा निर्धारित किये गये तिथि के पश्चात प्राप्त होता है, तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही उसे अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जायेगा।

7. आवेदन पत्रों पर विचार की प्रक्रिया :—

1. निर्धारित प्रारूप में प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध क्रम में रखा जायेगा.
2. विभाग पुरस्कार के लिए उपरोक्त नियम क्रमांक 5 के अनुसार उच्च स्तरीय चयन समिति का गठन करेगा.
3. आवेदन पत्रों में से श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर श्रमिक/संस्था का चयन ‘पुरस्कार चयन समिति’ द्वारा किया जायेगा.
4. चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा तथा इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी.
8. पुरस्कार का विलोपन या रद्द करना :— यह पुरस्कार उस स्थिति में रद्द किया जा सकता है जिसमें यह पाया जाये कि यह धोखाधड़ी या मिथ्या निरूपण से प्राप्त किया गया है, किन्तु विलोपन या रद्द करने का अधिकार चयन समिति के पास ही सुरक्षित रहेगा। विलोपन या रद्द करने के निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
9. अनर्हता :— पुरस्कार/प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार का दबाव या प्रलोभन अनर्हता मानी जायेगी।
10. पुरस्कार वितरण प्रक्रिया :— यह पुरस्कार वर्ष में एक बार विश्वकर्मा जयंती के दिन अथवा शासन द्वारा निर्धारित अन्य किसी तिथि को प्रदान किया जावेगा।
11. संशोधन :— शासन इन नियमों में संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन/शिथिलीकरण करने हेतु सक्षम रहेगा।
2. उपरोक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव,

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2010

क्रमांक एफ 8-8/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एकट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्वाया एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, भिलाई के बॉयलर क्रमांक 1 (एम.पी. 3519) को दिनांक 11-06-2010 से 09-08-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

- (1) संदर्भधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्ययंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी।
- (2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्ययंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।
- (3) संदर्भधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी।
- (4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा।